क्रम-संख्या–4

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 जनवरी, 2025

पौष 23, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–2

———

संख्या 75/तीस-2–2025-30-2099-83-2021

लखनऊ, 13 जनवरी, 2025

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–62

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 64 सन् 1950) की धारा 45 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा (दसवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा (दसवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 66 ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 (जिसे आगे ''उक्त विनियमावली'' कहा गया है) में, विनियम 66 क के पश्चात निम्नलिखित नया विनियम 66 ख बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"सेवानिवृत्ति पर कार्यवाही"

66—ख (1) नियुक्ति प्राधिकारी को किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसने निगम हितों के विरुद्ध कार्य किया हो या निगम को वित्तीय हानि पहुंचाई हो, के सेवानिवृत्तिक देयकों से या आय के किसी अन्य शीर्ष से वसूली किये जाने की शक्ति होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन या उसके किसी आंशिक भाग (पेंशन योग्य पदों के मामले में) को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने की शक्ति होगी और उसे ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा निगम को हुई किसी धनीय हानि की पूरी या आंशिक वसूली का आदेश देने की शक्ति भी होगीः

परन्तु यह कि यदि निगम को हुई वित्तीय हानि की वसूली पूर्वोक्त प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, निगम को हुई वित्तीय हानि की वसूली के लिए सिविल न्यायालय या अन्यथा से सम्पर्क कर सकता है।

(3) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व या पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए संस्थित नहीं हुई हो तो :—

(एक) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यू0पी0एस0आर0टी0सी0) के अनुमोदन के पश्चात ही संस्थित की जायेगी।

(दो) केवल ऐसी घटना के लिए संस्थित की जायेगी जो ऐसी कार्यवाही से चार वर्ष पूर्व के अधिक समय की न हो।

(4) सेवानिवृत्ति पर लम्बित कार्यवाही सेवानिवृत्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश कार्यवाही तीन माह के भीतर पूर्ण नहीं हो पाती है तो अतिरिक्त अवधि हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यू0पी0एस0 आर0टी0सी0) का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

(5) सेवानिवृत्ति के पश्चात संस्थित की गयी कार्यवाही, संस्थित होने से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश कार्यवाही तीन माह के भीतर पूर्ण नहीं हो पाती है तो अतिरिक्त अवधि हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यू0पी0एस0आर0टी0सी0) का अनुमोदन अनिवार्य होगा

(6) इस विनियम के अधीन दण्डित कर्मचारी को दण्डादेश के विरुद्ध, कार्यरत कर्मचारियों की भांति ही, अपील करने का अधिकार होगा। अपील की प्रक्रिया वही होगी जो कार्यरत कर्मचारियों के लिए है।''

विनियम 68—क का बढ़ाया जाना

3—उक्त विनियमावली में, विनियम 68 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम 68 क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"निलम्बन के प्रतिसंहरण के पश्चात बहाली पर

68—क (1) जब निलम्बित कर्मचारी को बहाल किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उसे निलम्बन की अवधि के लिए निम्नलिखित वेतन और भत्तों की स्वीकृति दे सकता है:—

(क) यदि कर्मचारी पूर्णरूप से आरोपमुक्त कर दिया गया हो तो उसे पहले ही संदत्त निर्वाह भत्ते को घटाकर वह पूर्ण वेतन तथा भत्ते जिसके लिए वह यदि निलम्बित न किया गया होता तो हकदार होता;

(ख) अन्यथा, वेतन और भत्तों का ऐसा अंश जैसा कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे।

(2) उप विनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामले में कार्य से अनुपस्थिति की अवधि को कार्य पर व्यतीत की गई अवधि माना जायेगा। उप विनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामले में कार्य से अनुपस्थिति की अवधि को तब तक कार्यरत करने की अवधि नहीं माना जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा निदेशित न करें।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि निलम्बन पूर्णतया न्यायसंगत नहीं था, वहां कर्मचारी को पूरा वेतन तथा समस्त भत्ते संदत्त किये जायेंगे जिसके लिए वह हकदार होता, यदि वह निलम्बित नहीं किया गया होताः

परन्तु यह कि जहाँ सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित कार्यवाहियों की समाप्ति में प्रत्यक्षतः कर्मचारी के कारण विलम्ब हुआ है, वहाँ कर्मचारी को इस सम्बन्ध में उसे तामील की गई संसूचना के दिनांक से साठ दिन के भीतर अपना अभ्यावेदन देने

का अवसर देने के पश्चात और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकता है कि कर्मचारी को ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए केवल ऐसे वेतन भत्ते की उतनी धनराशि, जो सम्पूर्ण राशि न हो संदत्त की जायेगी, जितना वह अवधारित करे।

(4) उप विनियम (3) के अधीन आने वाले मामले में निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजनों के लिए कार्य पर व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी।

(5) सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित राशि की सूचना कर्मचारी को देने के पश्चात और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसी नियत अवधि के भीतर, जो कि नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से साठ दिन से अधिक नहीं होगी, प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात कर्मचारी को निलम्बन अवधि हेतु संदत्त किये जाने वाले वेतन एवं भत्ते का आदेश दे सकता है।

(6) जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही अथवा न्यायालय की कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दिये जाने तक निलम्बन प्रतिसंहृत कर दिया जाय, वहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाहियां पूरी हो जाने के पश्चात् स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(7) कार्यवाहियों की समाप्ति पर सक्षम प्राधिकारी यथावश्यक ऐसे आदेश देगा कि निलम्बन की अवधि की विशिष्ट अवधि कार्य पर व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं मानी जायेगी :

परन्तु यह कि सक्षम प्राधिकारी यह आदेश भी दे सकता है कि निलम्बन की ऐसी अवधि को, कर्मचारी को देय और अनुमन्य किसी प्रकार की छुट्टी में संपरिवर्तित कर दिया जाये।"

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू,

प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 75/XXX-2–2025-30-2099-83-2021, dated January 13, 2025:

No. 75/XXX-2–2025-30-2099-83-2021

Dated Lucknow, January 13, 2025

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of Section 45 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (Act no. 64 of 1950) *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 21 of 1897), the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, with the previous sanction of the State Government, is pleased to make the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Road Transport Corporation Employees (Other than Officers) Service Regulations, 1981, namely:-

The Uttar Pradesh Road Transport Corporation Employees (Other than Officers) Service (Tenth Amendment) Regulations, 2025

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Road Transport Corporation Employees (Other than Officers) Service (Tenth Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette.*

Insertion of regulation 66-B

2. In the Uttar Pradesh Road Transport Corporation Employees (Other than Officers) Service Regulations, 1981 (hereinafter referred to as the "said regulations"), after regulation 66-A the following new regulation 66-B shall be *inserted,* namely:-

"Proceedings on retirement

66-B (1) The Appointing Authority shall have the power to recover from retiral dues or from any other head of income of a retired employee, who has acted against the interests of the Corporation or has caused financial loss to the Corporation.

(2) The Appointing Authority shall have the power to withhold or withdraw the pension or any part thereof (in case of pensionable posts) of such retired employee, whether permanently or for a specified period, and it shall also have the right of ordering recovery of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Corporation by such retired employee from his pension:

Provided that if the financial loss caused to the Corporation is not recovered through the aforesaid process, then the Appointing Authority may, in its discretion, approach the Civil Court or otherwise for the recovery of losses caused to the Corporation.

(3) Such departmental proceedings, if not instituted while the employee was on duty, either before retirement or during re-employment,—

(i) shall be instituted only after the approval of the Chairman, Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC);

(ii) shall be in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings.

(4) It shall be mandatory to complete any pending proceeding on retirement within three months from the date of retirement. If for any reason, the proceedings are not completed within three months, then the approval of Chairman of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) shall be necessary for additional time.

(5) It shall be mandatory to complete the proceedings initiated after retirement within three months from the date of institution of such proceedings. If for any reason, the proceedings are not completed within three months then the approval of Chairman of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) shall be necessary for additional time.

(6) An employee punished under this regulation shall have the same right of appeal against the order, as that of the serving employee. The process of appeal shall be same as that for the serving employee."

Insertion of regulation 68-A

3. In the said regulations, after regulation 68 the following new regulation 68-A shall be *inserted*, namely:-

"Pay, etc. on reinstatement on revocation of suspension

68-A (1) When the employee under suspension is reinstated, the Competent Authority may grant to him the following pay and allowances for the period of suspension,—

(a) if the employee is fully exonerated, then the full pay and allowances which he would have been entitled to if he had not been suspended, less the subsistence allowance already paid to him;

(b) if otherwise, then such proportion of pay and allowances as the Competent Authority deems fit.

(2) In cases falling under clause (a) of sub-regulation (1), the period of absence from duty will be treated as a period spent on duty. In cases falling under clause (b) of sub-regulation (1), the period of absence from duty will not be treated as a period spent on duty unless the Competent Authority so directs.

(3) Where the Competent Authority is of the opinion that the suspension was wholly unjustified, the employee shall be paid full pay and allowances to which he would have been entitled to had he not been suspended:

Provided that where the Competent Authority is of the opinion that the termination of proceedings instituted against the employee had been delayed due to reasons directly attributable to the employee, it may, after giving him an opportunity to make his representation within sixty days from date on which the communication in this regard is served on him and after considering the representation, if any, submitted by him, direct, for reasons to be recorded in writing, that the employee shall be paid for the period of such delay only such amount, not being the whole, of such pay and allowance as it may determine.

(4) In a case falling under sub-regulation (3), the period of suspension shall be treated as a period spent on duty for all purposes.

(5) The Competent Authority, after giving notice to the employee of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him in that behalf, within a fixed period which shall not exceed sixty days from the date on which notice has been served, may order the pay and allowances to be paid to the employee for the period of suspension.

(6) Where suspension is revoked pending finalization of disciplinary proceedings or proceedings in Court, the Competent Authority may review, on its own motion after the conclusion of such proceeding, and pass such orders as it deems fit.

(7) The Competent Authority shall, on conclusion of proceedings, pass orders for treating the period of suspension as the period spent on duty or not, for any specific periods, if necessary:

Provided that the Competent Authority may also order that such period of suspension shall be converted into leave of any kind due and admissible to the employee."

By order,
L. VENKATESHWER LU,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 448 राजपत्र–2025–(1181)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 11 सा0 परिवहन–2025–(1182)–100+5=105 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।